N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0096   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 22/04/2025 13:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराऐं)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 20/04/2025   Date To (दिनांक तक): 21/04/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर 4   Time From (समय से): 15:30 बजे   Time To (समय तक): 09:30 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/04/2025   Time (समय): 12:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 22/04/2025 13:20:05 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 30 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

      (b)Address(पता): RAVANJANA DUNGAR,, JILA SAWAI MADHOPUR

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHAMBHU GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMPAL GURJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON CHITARA, RAWANJANA DUNGAR, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON CHITARA, RAWANJANA DUNGAR, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RANJEET SINGH		पिता:VISHAN LAL	1. RAILWAY COLONY,Kotwali Sawaimadhopur,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर। विषयः- रिश्वत लेते हुये पुलिसकर्मी को रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं गांव चितारा का रहने वाला हुं करीबन 15 दिन पहले मेरे व मेरे गांव के रविन्द्र बैरवा के बीच टेप बजाने की बात पर झगडा हो गया था। उक्त झगडे की रिपोर्ट रविन्द्र बैरवा पुत्र रामफूल बैरवा ने मेरे खिलाफ पुलिस थाना रवांजना डूंगर में रिपोर्ट कर दी। इसकी जानकारी 2-3 दिन पहले पुलिस थाना रवांजना डूंगर के पुलिसकर्मी रणजीत ने दी और मामले को रफा दफा करने के बदले में मेरे से व मेरे साथ आये मेरे साले गोरधन से दस हजार रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी को रिश्वत राशि नहीं देकर इन्हें रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है और नांही कोई रूपये पैसे का लेन-देन बकाया है। हस्ताक्षर प्रार्थी- शम्भू गुर्जर पुत्र रामपाल जाति गुर्जर उम्र 47 वर्ष निवासी गांव चितारा पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर मो.नं0 [redacted] व सह प्रार्थी श्री गोरधन पुत्र कल्याण जाति गुर्जर उम्र 35 वर्ष निवासी गांव किशनपुरा पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर, हस्ता. सुरेन्द्र कुमार शर्मा अ.पु.अ. दिनांक-20.04.2025, ह0 स्वतंत्र गवाह-राजेश मीना, अखण्ड प्रताप सिंह दिनांक 21.04.2025, कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनाक 20.04.2025 को समय 03.30 पी. एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा की परिवादी शम्भू गुर्जर से हुई दुरभाष वार्ता अनुसार परिवादी श्री शम्भू गुर्जर पुत्र रामपाल जाति गुर्जर उम्र 47 वर्ष निवासी गांव चितारा पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर व श्री गोरधन पुत्र कल्याण जाति गुर्जर उम्र 35 वर्ष निवासी गांव किशनपुरा पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सिविल लाईन्स स्थित सरकारी आवास एस.आर.-7 पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर के नाम सम्बोधित करते हुये पुलिस थाना रवांजना डूंगर के पुलिसकर्मी रणजीत को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने बाबत सुरेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की है, परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही करते हुये परिवादी श्री शम्भू गुर्जर से उसके द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो उसके द्वारा रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व रिपोर्ट पर स्वयं के व सह परिवादी श्री गोरधन के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताते हुये बताया कि मैं गांव चितारा का रहने वाला हुं करीबन 15 दिन पहले मेरे व मेरे गांव के रविन्द्र बैरवा के बीच टेप बजाने की बात पर झगडा हो गया था। उक्त झगडे की रिपोर्ट रविन्द्र बैरवा पुत्र रामफूल बैरवा ने मेरे खिलाफ पुलिस थाना रवांजना डूंगर में रिपोर्ट कर दी। इसकी जानकारी 2-3 दिन पहले पुलिस थाना रवांजना डूंगर के पुलिसकर्मी रणजीत ने दी और मामले को रफा दफा करने के बदले में मेरे से व मेरे साथ आये मेरे साले गोरधन से दस हजार रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी को रिश्वत राशि नहीं देकर इन्हें रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है और नांही कोई रूपये पैसे का लेन-देन बकाया है। परिवादी ने मांगने पर अपना व अपने साले गोरधन का एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रति पेश की जिसे शामिल रनिंग नोट किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं उससे की मजीद दरियाफ्त से मामला रिष्वत राशि की मांग का होना पाया जाता है जिसका गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवष्यक है। सत्यापन से जैसी स्थिति होगी तदानुसार कार्यवाही की जावेगी। परिवादी ने पूछने पर बताया कि हम रणजीत पुलिसकर्मी से कभी मिले नही है। उनसे हमारी बात फोन पर हुई है और रिश्वत राशि की मांग भी फोन पर ही कर रहा है। इसके बाद समय 03.45 पी.एम. पर श्री हम्मीर सिंह कानि. मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय वाईस एसडी कार्ड के एसीबी कार्यालय से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सरकारी निवास पर ही उपस्थित आया। इस पर श्री हम्मीर सिंह कानि. से परिवादीगण के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व एसडी कार्ड को चैक किया तो वाईस रिकॉर्डर व एसडी कार्ड खाली होना पाये गये। श्री हम्मीर सिंह कानि. से एसडी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डलवाया गया तो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में एसडी कार्ड प्रदर्शित नही हो रहा था। इसके बाद पुनः दूसरा एसडी कार्ड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डलवाया गया तो वह भी प्रदर्शित नही हो रहा था। चूकि रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री हम्मीर सिंह कानि. से चालू करवाकर सहपरिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर स्पीकर ऑन करवाकर कॉल करवाया गया तो आरोपी ने कहा हैलो सहपरिवादी गोरधन ने कहा की सर नमस्ते इने साथ ले आउंगा मैं। सह परिवादी ने कहा की पैसे की

व्यवस्था नही बैठी, कोई लास्ट बता दो कितने करने है इस पर आरोपी ने कहा मैने कह दिया ना वो सही है। सहपरिवादी ने कहा आपने तो दस का नाम लिया था। इस पर आरोपी द्वारा कहा गया कि हॉं बस तो बस इस पर सह परिवादी ने कहा पुरा दस ही होगे सर आरोपी ने कहा हॉं। उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द करवाया गया। सहपरिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य हुई वार्ता से संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशि दस हजार रूपये की मांग करना स्पष्ट है। इसके बाद समय 04.00 पी.एम पर परिवादी शम्भू गुर्जर व सह परिवादी गोरधन ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज हमारे पास रणजीत पुलिसकर्मी को दी जाने वाली रिश्वत राशि दस हजार की व्यवस्था नही है। हम कल दिनांक 21.04.2025 को सुबह जल्दी ही रिश्वत राशि की व्यवस्था करके आपके कार्यालय/निवास पर ही उपस्थित हो जावेंगे। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादीगण को बताया कि रिकॉर्ड वार्ता में संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशि आज ही लेने हेतु कहा है। इस पर परिवादी शम्भू गुर्जर ने बताया कि हम रणजीत पुलिसकर्मी से कल दिनांक के लिये पुनः बात कर लेंगे। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी को शक ना हो इसलिये कुछ समय बाद पुनः बात करने की हिदायत की गई। इसके पश्चात समय 04.32 पी.एम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री हम्मीर सिंह कानि. से चालू करवाकर परिवादी शम्भू गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर स्पीकर ऑन करवाकर कॉल करवाया गया तो आरोपी ने कहा हैलो परिवादी ने कहा की सर जिससे पैसे लेने आये है वह बाहर गया हुआ है। पैसो की व्यवस्था नही हुई है, सुबह कर देंगे। आरोपी द्वारा कहा गया कि सुबह तो वो बैरवा भी आयेगा। परिवादी द्वारा कहा गया की कुछ पैसे कम पड रहे है। इस पर आरोपी द्वारा कहा गया कि कितने कम पड रह है। परिवादी ने कहा पांच हजार रूपये कम पड रहे है। परिवादी ने आरोपी को रिश्वत राशि कल दिनांक 21.04.2025 को सुबह आठ बजे तक देने की कहा उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द करवाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में संदिग्ध आरोपी कल दिनांक 21.04.2025 को रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना पाया गया। इसके बाद समय 04.45 पी.एम पर अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादीगण को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर कल दिनांक 21.04.2025 को प्रातः ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद समय 05.00 पी.एम पर अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा कल दिनांक 21.04.2025 को ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने से अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 20.04.2025 को सर्च कार्यवाही में हमराह गये हुये गवाहान श्री राजेश मीना हाल गिरदावर ठिंगला, तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर 2. श्री अखण्ड प्रताप सिंह हाल पटवारी पटवार हल्का जडावता तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर को तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर से सम्पर्क कर कल दिनांक 21.04.2025 को प्रातः ब्यूरो चौकी उपस्थित होने की हिदायत दी गई। इसके पश्चात समय 5.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी में रखवाया गया। इसके बाद दिनांक 21.04.2025 को समय करीबन 06.30 ए.एम पर पूर्व से पावन्दशुदा परिवादीगण श्री शम्भू गुर्जर व गोरधन ब्यूरो चौकी उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। इसके पश्चात समय 06.45 ए.एम पर पूर्व से पावन्दशुदा गवाहान श्री राजेश मीना हाल गिरदावर ठिंगला, तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर 2. श्री अखण्ड प्रताप सिंह हाल पटवारी पटवार हल्का जडावता तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर ब्यूरो चौकी उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया तथा तत्पश्चात दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई तथा ब्यूरो चौकी में उपस्थित परिवादीगण श्री शम्भू गुर्जर व गोरधन तथा दोनो गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादीगण द्वारा पुलिस थाना रवांजना डूंगर के पुलिसकर्मी रणजीत के विरूद्ध रिश्वत मांगने एवं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 20.04.2025 को दिखाया व पढवाया गया जिसके बारे में गवाहान के द्वारा परिवादी से वार्ता की एवं रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछताछ की तथा रिपोर्ट को सही मानते हुये परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहो ने अपने-अपने हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किये गये तथा अब तक की कार्यवाही से स्वतंत्र गवाहान को अवगत करवाया गया। इसके बाद समय 07.15 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश मीना हाल गिरदावर ठिंगला, तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर 2. श्री अखण्ड प्रताप सिंह हाल पटवारी पटवार हल्का जडावता तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर एवं सहपरिवादी गोरधन के सामने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शम्भू गुर्जर द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री रणजीत को दी जाने वाली रिश्वती राशि 10,000/-रूपये पेश करने की हिदायत देने पर परिवादी ने 500-500 रूपये के बीस नोट कुल 10,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये। जिनका विवरण फर्द पेषकषी एवं सुपुर्द नोट में अंकित करवाया गया तत्पष्चात पेश शुदा नोटों को स्वतंत्र गवाहान व परिवादीगण को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से बोल बोलकर करवाया गया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. 133 कार्यवाहक मालखाना प्रभारी से मालखाना का ताला खुलवाकर श्री रामकेश कानि. 98 से मालखाने से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री रामकेश कानि. 98 से एक साफ अखबार साफ टेबिल के उपर बिछवाकर उस अखवार के उपर थोडा सा फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 10,000/-रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी शम्भू गुर्जर व सह परिवादी गोरधन की

जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजेश मीना गिरदावर से लिवाई गई जिसमें परिवादीगण के पास उसके बदन पर पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु रूपया पैसा आदि नही रहने दिया गया । इसके बाद श्री रामकेश कानि. 98 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 500-500 रूपये के बीस नोट कुल 10,000/-रूपये के नोटो को संदिग्ध आरोपी श्री रणजीत पुलिसकर्मी को दिये जाने के लिये परिवादी शम्भू गुर्जर की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी साईड की बगल वाली जेब के अन्दर रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर उन्हें देवे तथा आरोपी उक्त रिवती नोटों को प्राप्त करके कहां पर रखते है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने गले में डली साफी को उतारकर हाथ में ले अथवा अपने मोबाईल फोन से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिसकॉल कर ईशारा करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक संभव हो सके परिवादीगण व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का हर संभव प्रयास करें, इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री अखण्ड प्रताप सिंह पटवारी से कार्यालय में से एक नये साफ प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय में रखे हुये केम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गवाह से ही प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के भरे पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला साफ सफेद ही रहा जिस हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग साफ सफेद होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के साफ सफेद घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि. 98 के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादीगण एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर एवं गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री रामकेश कानि. 98 से वापस मालखाने में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री अखण्ड प्रताप सिंह पटवारी के मार्फत उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री रामकेश कानि. 98 से प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार व प्लास्टिक पारदर्षी डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री रामकेश कानि. 98 के दोनो हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने-अपने हाथ अलग अलग साबुन व साफ पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को रिश्वत लेन-देन के समय आरोपी से होने वाली वार्ताओं को रिकॉर्ड करने के लिये डिजीटल विभागीय वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर उसमें नया खाली माईक्रो एसडी 08 जीबी लगाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर वाईस रिकार्डर में लगे धागे से वाईस रिकार्डर को गले में लटकवाया जाकर सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी वॉईस रिकार्डर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 08.00 एएम पर कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को अलग-अलग साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर परिवादी श्री शम्भू गुर्जर व सहपरिवादी श्री गोरधन को अपनी निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान श्री भोलाराम कानि. 281, श्री हम्मीर सिंह कानि.02, श्री मनोज कुमार कानि. 133 मय स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश मीना हाल गिरदावर ठिंगला, तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर 2. श्री अखण्ड प्रताप सिंह हाल पटवारी पटवार हल्का जडावता तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर मय ट्रेप बौक्स, सरकारी लेपटोप, मय प्रिंटर, टेबिल स्पीकर आदि सामान सहित जरिये प्राईवेट वाहन के एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर से परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार रेल्वे स्टेशन रवांजना डूंगर पुलिस थाना रवांजना डूंगर के लिये वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना हुआ, कार्यालय में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि. 98 को बाद हिदायत छोडा गया। इसके पश्चात समय 08.50 ए.एम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा रेल्वे स्टेशन रवांजना डूंगर के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री शम्भू गुर्जर व सहपरिवादी गोरधन अपने निजी मोटरसाईकिल से उपस्थित मिले। जिनको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के हमराह लेकर वाहनों को साईड में खडा करवाकर परिवादी शम्भू गुर्जर के मोबाईल से संदिग्ध आरोपी रणजीत पुलिसकर्मी के मोबाईल पर कॉल करवाया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी को रेल्वे स्टेशन के पास स्थित चाय की थडी पर मिलने के लिये कहा। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के गले में डले हुये विभागीय वाईस रिकॉर्डर को चालू कर मुनासिफ हिदायत कर परिवादी व सहपरिवादी को रेल्वे स्टेशन के पास स्थित चाय की थडी पर रवाना किया गया। परिवादी व सहपरिवादी के पीछे पीछे दोनो स्वतंत्र गवाहान व भोलाराम कानि. व हम्मीर सिंह कानि. को पैदल पैदल रवानाकर उनके पीछे पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय मनोज कुमार कानि. के पैदल-पैदल पीछे रवाना होकर रेल्वे स्टेशन के पास बनी चाय की थडीयों व रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म नं0 02 के पास पहुंचे। जहां पर परिवादी व सहपरिवादी

रवांजना डूंगर कस्बा में जाने वाले रास्ते पर साईड में एक चाय की थडी पर बैठे नजर आये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य भी रेल्वे स्टेशन रवांजना डूंगर के प्लेट फार्म नम्बर 02 के पास स्थित चाय की थडियों पर ईधर उधर खडे हो गये तथा परिवादी के नियत ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय 09.30 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री शम्भू गुर्जर ने रवांजना डूंगर कस्बा में जाने वाले रास्ते पर से ही पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी सदस्यो को साथ लेकर परिवादी शम्भू गुर्जर के पास पहुंचे तो परिवादी व सहपरिवादी के साथ में खडे व्यक्ति जिसने आसमानी कलर की टी-शर्ट पहन रखी थी, की तरफ ईशारा कर कहा की यही रणजीत पुलिसकर्मी है। जिसने अभी-अभी मुझसे रिश्वत राशि दस हजार रूपये अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द करवाकर सुरक्षित अपने पास रखा। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सहपरिवादी के साथ खडे व्यक्ति से नाम पूछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये अपना रणजीत सिंह हैड कानि. पुलिस थाना रवांजना डूंगर बताया और हाथों को रगडने का प्रयास करने लगा और कहने लगा कि मैने कुछ नही किया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दांया हाथ हम्मीर सिंह कानि. व बांया हाथ भोलाराम कानि. ने कलाईयों के उपर से पकड लिया। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मैं और गोरधन आपके पास से रवाना होकर रेल्वे स्टेशन रवांजना डूंगर के प्लेट फार्म नम्बर 02 के पास रवाजना डूंगर जाने वाले रास्ते पर साईड में एक चाय की थडी पर बैठ गये कुछ समय बाद ही रणजीत जी पुलिसकर्मी हमारे पास आ गये और हमसे मेरे खिलाफ पुलिस थाना रंवाजना डूंगर में दर्ज परिवाद के बारे में बातचीत करने लग गये और चाय पीने लग गये, चाय पीने के बाद रणजीत जी हम दोनो को रवांजना डूंगर जाने वाले रास्ते की तरफ ले गये, जहां पर मुझसे रिश्वत राशि दस हजार रूपये अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जैब में रख लिये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी रणजीत सिंह हैड कानि. को दोनो हाथ पकडे स्थिति में मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान मय परिवादीगण के स्टेशन परिसर के अन्दर एक पेड के पास पहुंचा। जहां पर श्री मनोज कुमार कानि. को स्वंय के मोबाईल से कार्यवाही की विडियोग्राफी की हिदायत कर आरोपी रणजीत सिंह को तसल्ली देकर आरोपी रणजीत सिंह को पेड की छांया में बिठाकर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रणजीत सिंह हैड कानि. होना बताया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी से परिवादी से रिश्वत राशि बाबत पूछा तो आरोपी कहने लगा कि मेरे को पता नही कितने मांगे थे और कहा की मैंने तो नही मांगे। परिवादी के कार्य बाबत पूछा तो आरोपी कहने लगा कि मेरे पास कोई कार्य पैंडग नही है और कहने लगा कि इन्होने नही दिया परिवाद, मैने तो इनको बयान के लिये बुलाया था। परिवाद कल ही आया है। इस पर पास ही खडे परिवादी शम्भू गुर्जर ने पूछने पर आरोपी की बात का खण्डन करते हुये कहा कि ये झूंठ बोल रहे है। मेरे खिलाफ हमारे गांव के रविन्द्र बैरवा ने रिपोर्ट दी थी। जिसको रफा दफा करने के लिये दस हजार रूपये मांगे थे। मैंने कहा की साहब कुछ कम कर दो तो रणजीत ने कहा की कोई कम नही होंगे। तेरे केस को यही निपटा दूंगा और इन्होने ने आज दिनांक को मेरे से दस हजार रूपये अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लिये। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री राजेश मीना गिरदावर से आरोपी रणजीत सिंह हैड कानि. की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी लिवायी गयी तो आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में पांच-पांच सो नोटो की गडडीनुमा मिली। जिन्हे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो पांच-पांच सौ के 20 नोट मिले, जिन्हे स्वतंत्र गवाह राजेश मीना के पास सुरक्षित रखवाये गये। रेल्वे स्टेशन पर काफी भीड-भाड व बैठकर कार्यवाही करने का सुरक्षित स्थान नही होने से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी रणजीत सिंह हैड कानि. का दांया हाथ श्री हम्मीर सिंह कानि. से व बांया हाथ भोलाराम कानि. से पकडवाकर मय परिवादीगण मय स्वतंत्र गवाहान मय रिश्वति राशि के अग्रिम कार्यवाही हेतु रेल्वे स्टेशन रवांजना डूंगर के पास ही स्थित पुलिस थाना रवांजना डूंगर के लिये रवाना होकर पुलिस थाना रवांजना डूंगर पहुंचा, जहां पर पुलिस थाना रवांजना डूंगर के सामने बने स्वागत कक्ष के पास पहुंचा, जहां पर स्वागत कक्ष का गेट खुलवाकर मय आरोपी मय परिवादीगण मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के स्वागत कक्ष के अन्दर प्रवेश किया। इसके पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाया तथा इसके पश्चात पुलिस थाना रवांजना डूंगर में से एक प्लास्टिक की बोतल में पानी मंगवाकर दो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल उचित दूरी पर रखवाकर डिस्पोजल गिलासो में पानी डाला गया, उसमें स्वतंत्र गवाह श्री अखण्ड प्रताप सिंह पटवारी से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। दोनां गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा। इस घोल के एक गिलास में आरोपी रणजीत सिंह हैड कानि. के दांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे व दूसरे गिलास में बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दांहिने हाथ के धुलाई के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया तथा बांये हाथ के धुलाई के धोवन का रंग गंदमेला हो गया। जिसे दो-दो साफ कॉच की शीषीयां में आधा-आधा भरवाकर चिट चस्पा कर सील किया गया। शीशीयों पर मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1 व एलएच-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं तत्पष्चात आरोपी श्री रणजीत सिंह हैड कानि. द्वारा अपनी पहनी हुयी की पेन्ट की सामने की दाहिनी जैब से मिली रिश्वति राशि जो स्वतंत्र गवाह राजेश मीना गिरदावर के पास रखी हुयी थी। जिसका मिलान स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में ही एसीबी कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया तो पांच-पांच सौ रूपये के बीस नोट हुबहु मिले। बरामद रिष्वत

रिष्वती नम्बरी नोटों को बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया व आरोपी श्री रणजीत सिंह हैड कानि. की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की पहनी पेन्ट की पीछे दाहिनी तरफ की जैब में एक सफेद रंग का रूमाल व पचास रूपये का एक नोट मिला। उक्त जामा तलाशी में मिली नगद राशि 50 रूपये व रूमाल को स्वतंत्र गवाह श्री राजेश मीना के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके पश्चात आरोपी श्री रणजीत सिंह हैड कानि. की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब का धोवन लेना आवष्यक होने से आरोपी के लिये पुलिस थाना रवांजना डूंगर में से एक लोअर मंगवाकर पहने हुये पेन्ट को ससम्मान खुलवाकर लोअर पहनाया तथा साफ पारदर्शी प्लास्टिक के एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमे श्री अखण्ड प्रताप सिंह पटवारी से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में आरोपी श्री रणजीत सिंह हैड कानि. की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस घोल को भी दो साफ कॉच की शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील चस्पा कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर मम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा धुलाई हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब को सुखवाकर उक्त जेव पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलवाकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी अंकित कर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी शम्भू गुर्जर से प्राप्त कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉडर (एसडी कार्ड डले सहित) को दोनों गवाहान व परिवादीगण की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पैनड्राईव/ डीवीडी पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपित श्री रणजीत सिंह हैड कानि. से परिवादी के विरूद्व पुलिस थाना रवांजना डूंगर में दर्ज परिवाद के बारे में पूछा तो बताया कि आज से दो-पांच दिन पहले एक परिवाद तो डाक द्वारा आया था तथा एक परिवाद एसपी साहब के कार्यालय से पुलिस थाने पर आया था। उक्त दोनो परिवाद जांच हेतु थानाधिकारी साहब ने मुझे सुपुर्द किये थे। जिनकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है। जो पुलिस थाना रवांजना डूंगर के महिला डेस्क रूम पटटी पर रखे हुये है। उक्त परिवादों को पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जावेगा। इसके इसके बाद परिवादीगण व आरोपी से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन-देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादीगण व आरोपी ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। उपर्युक्त कार्यवाही की श्री मनोज कुमार कानि. 133 से स्वंय के मोबाईल से बीडीयोग्राफी कराई गई जिसकी पृथक से पैनड्राईव/डीबीडी तैयार करवाई जावेगी। उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द पूर्ण की गई, फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात समय 11.35 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने आरोपी रणजीत सिंह पुत्र विशनलाल जाति बंजारा उम्र 51 वर्ष निवासी रेल्वे कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. 40 पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर द्वारा परिवादी शम्भू गुर्जर से उसके खिलाफ पुलिस थाना रवांजना डूंगर में दर्ज परिवाद को रफा-दफा करने की एवंज में अपने पारिश्रमिक पारितोष के अलावा रिश्वती राशि 10,000 रुपये की मांग कर आज दिनांक 21.04.2025 को परिवादी से प्राप्त करने का आरोपी का उक्त कृत्य अन्तगर्त धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) का अपराध होने एवं आरोपी द्वारा परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर धारा 35 बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त धाराओं में आरोपी को हस्व कायदा उपरोक्त धारा में गिरफ्तार किया जाकर आरोपी रणजीत सिंह हैड कानि. 40 की तलाशी लिवाई गई तो पहने हुए कपडों के अलावा पेन्ट की पीछे की जेब में एक रूमाल व एक 50 रूपये का नोट मिला। जिसको स्वतंत्र गवाह श्री राजेश मीना गिरदावर के पास सुरक्षित रखा गया अन्य कोई वस्तु नहीं मिली तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से स्वंय के मोबाईल से अपने पुत्र राहुल के मोबाईल नम्बर [redacted] पर दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 12.15 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान व परिवादीगण के समक्ष पुलिस थाना रवांजना डूंगर के महिला डेस्क रूम पटटी पर रखे हुये परिवादो को पुलिस थाना रवांजना डूंगर से मंगवाकर परिवादो का अवलोकन किया तो एक परिवाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला स0मा0 के नाम पर है तथा उक्त परिवाद पर पेन से पी-1 132 दिनांक 18.04.25 लिखा हुआ है, जो थानाधिकारी द्वारा श्री रणजीत सिंह एचसी के नाम जांच कर रिपोर्ट पेश करने का अंकन किया हुआ है। उक्त परिवाद दो पेजो का है। इसी प्रकार दूसरे परिवाद का अवलोकन किया गया तो थानाधिकारी थाना रवांजना डूंगर के नाम पर है तथा उक्त परिवाद पर पेन से पी-3 132 दिनांक 18.04.25 लिखा हुआ है, जो थानाधिकारी द्वारा श्री रणजीत सिंह एचसी के नाम जांच कर रिपोर्ट पेश करने का अंकन किया हुआ है। उक्त परिवाद भी दो पेजो का है। परिवाद रजिस्टर पार्ट प्रथम व पार्ट तृतीय का अवलोकन किया गया तो उक्त दोनो परिवादों का परिवाद रजिस्टर प्रथम व परिवाद रजिस्टर तृतीय में दर्ज है तथा एक ऑन लाईन परिवाद भी दर्ज होना पाया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त दोनो परिवादो व परिवाद रजिस्टरों व ऑन लाईन दर्ज परिवाद की पुलिस थाना रवांजना डूगर से फोटो प्रति प्राप्त कर श्री भगवत सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस इंचार्ज पुलिस चौकी कुश्तला पुलिस थाना रवांजना डूंगर से प्रमाणित करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर ट्रेप कार्यवाही में वजह

सबूत पृथक से जरिये फर्द जप्ती जप्त किया गया। परिवादी का कार्य बाधित नही हो इसलिए उपरोक्त मूल दोनो परिवाद, परिवाद रजिस्टर पार्ट प्रथम, पार्ट तृतीय व ऑन लाईन परिवाद श्री भगवत सिंह स.उ.नि. इंचार्ज पुलिस चौकी कुश्तला पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि जब भी न्यायालय अथवा ए.सी.बी. तलब करे तो पेश करें। इसके पश्चात 12.30 पी.एम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर श्री रामकेश कानि. 98 मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक मनोज कुमार कानि. 647 के पुलिस थाना रवांजना डूंगर उपस्थित आये। इसके पश्चात 12.55 पी.एम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शम्भू गुर्जर व सह परिवादी गोरधन की निषादेही पर घटना स्थल का नक्षा मौका व हालात मौका कसीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया । इसके बाद 01.30 पी.एम पर सह परिवादी उसकी मोटरसाईकिल से ब्यूरो चौकी आने पहुंचने की हिदायत कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 मय श्री रामकेश कानि. मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त रणजीत सिंह हैड कानि0 40 मय परिवादी श्री शम्भू गुर्जर मय सील/जप्त शुदा वजह सबूत माल को मय ट्रेप बोक्स व सरकारी लैपटॉप मय प्रिंटर, वाईस रिकार्ड आदि के जरिये सरकारी से रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय भोलाराम कानि., मनोज कानि. 133 मय दोनो स्वतंत्र गवाहान के प्राईवेट वाहन से घटनास्थल रवांजना डूंगर से एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर रवाना होकर समय 02.05 पी.एम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री शम्भू गुर्जर, सहपरिवादी गोरधन एवं गिरफतार शुदा आरोपी रणजीत सिंह हैड कानि. 40 मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के सील/जप्त शुदा वजह सबूत माल को मय ट्रेप बोक्स व सरकारी लैपटॉप मय प्रिंटर, वाईस रिकार्ड आदि के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनो से लेकर ए.सी.बी. चौकी सवाई माधोपुर पर आया तथा वजह सबूत को श्री मनोज कुमार कानि0 133 मालखाना इन्चार्ज के सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी को कार्यालय में मुलाजमानों की निगरानी में रखा गया। इसके बाद समय 02.15 पी.एम पर आरोपी रणजीत सिंह हैड कानि. 40 पुलिस थाना रवांजना डूंगर रेल्वे कॉलोनी सवाई माधोपुर का निवासी होने तथा आरोपी के विरूद्व की गई ट्रेप कार्यवाही स्थानीय पब्लिक एवं समाचार चैनलो के माध्यम से प्रकाशित हो जाने से तथा ब्यूरो चौकी पर मात्र एक अधिकारी होने से व ट्रेप कार्यवाही में समय अधिक लगने से आरोपी के रिहायसी मकान की खाना तलाशी नही ली गई। इसके बाद समय 02.30 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री शम्भू गुर्जर व श्री गोरधन के सामने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे में रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादीगण एवं संदिग्ध आरोपी के मध्य दिनांक 20.04.2025 को जरिये मोबाईल हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर उक्त वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर रिकार्ड रिश्वत मांग संबंधी वार्ताओं को टेविल स्पीकर की मदद से सुना व परिवादीगण एवं दोनो गवाहान को सुनाया गया एवं रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण श्री हम्मीर सिंह कानि0 02 से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से एक नये पैनड्राईव मार्क-ए-1 न्यायालय प्रति एवं एक मुलजिम प्रति डीबीडी मार्क-ए-2 एवं एक आई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क-ए-3 डब करवाई जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईव व डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकरआई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क-ए-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-ए-1 एवं मुलजिम प्रति डीवीडी मार्क-ए-2 को कपडे की थैली में शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क-ए-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई तथा जर्ये कम्प्यूटर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर की हैष वैल्यू की गणना कर प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 03.30 पी.एम पर परिवादी श्री शम्भू गुर्जर से पूर्व में प्राप्त शुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें आज दिनांक 21.04.2025 को आरोपी श्री रणजीत सिंह हैड कानि. 40 पुलिस थाना रवांजना डूंगर एवं परिवादी श्री शम्भू गुर्जर व सहपरिवादी गोरधन [illegible] रिश्वत लेन-देन हुई रूबरू वार्ता रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादीगण की मौजुदगी में सरकारी कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं सुनाया जाकर एवं आवाज की पहचान परिवादीगण से कराई जाकर रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 से उक्त रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से एक नये खाली पैनड्राईव मार्क-बी-1 न्यायालय प्रति, एवं एक मुलजिम प्रति डीबीडी मार्क-बी-2 एवं एक आई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क-बी-3 डब करवाई जाकर एसडी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईव व डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क-बी-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-बी-1 एवं मुलजिम प्रति डीवीडी मार्क-बी-2 को कपडे की थैली में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल एसडी कार्ड माईक्रो एसडी को वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क-बी अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-बी अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क-बी-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई तथा जर्ये कम्प्यूटर मूल मेमोरी कार्ड की

हैष वैल्यू की गणना कर प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 06.00 पी.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादीगण के सामने दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये मनोज कुमार कानि. 133 से स्वंय के मोबाईल में करवाई गई विडीयोग्राफी की एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु व एक डीवीडी आई.ओ. प्रति डब करवाई जाकर मार्क सी-1 व सी-2 अंकित करवाकर पेन ड्राईव मार्क-सी-1 न्यायालय प्रति को कपडे की थैली में सील्ड मौहर कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीबीडी मार्क-सी-2 को वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। जिसकी पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 06.40 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में सील्ड शुदा पैनड्राईव मार्क-ए-1, डीबीडी मार्क-ए-2, पैनड्राईव मार्क-बी-1 एवं डीबीडी मार्क-बी-2, एसडी मार्क-बी, पेन ड्राईव मार्क-सी-1, डीवीडी मार्क-सी-2 को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि. 133 को सुरक्षित हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना कराया गया। इसके पश्चात समय 08.15 पी.एम पर गिरफ्तार शुदा आरोपी रणजीत सिंह पुत्र विशनलाल जाति बंजारा उम्र 51 वर्ष निवासी रेल्वे कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. 40 पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को सामान्य चिकित्सालय जिला सवाई माधोपुर से स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पृथक से ड्यूटी ऑफीसर सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर तहरीर जारी कर श्री रामकेश कानि. 98 मय मनोज कुमार कानि0 चालक नं. 647 को जरिये सरकारी वाहन सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर व मानटाउन पुलिस थाना के लिये रवाना किया गया। जो समय 09.10 पी.एम पर श्री रामकेश कानि. 98 मय मनोज कुमार कानि0 चालक नं. 647 के उपरोक्त फिकरा का रवानाषुदा गिरफतार शुदा आरोपी रणजीत सिंह पुत्र विशनलाल जाति बंजारा उम्र 51 वर्ष निवासी रेल्वे कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. 40 पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर के बाद स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट के मय गिरफ्तारशुदा आरोपी के जरिये सरकारी वाहन वापस कार्यालय आये। आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय स्टाफ की निगरानी में रखा गया। इसके पश्चात समय 09.30 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील को परिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताकर करवाये गये। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी रणजीत सिंह पुत्र विशनलाल जाति बंजारा उम्र 51 वर्ष निवासी रेल्वे कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. 40 पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर परिवादी श्री शम्भू गुर्जर पुत्र रामपाल जाति गुर्जर उम्र 47 वर्ष निवासी गांव चितारा पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर से उसके विरूद्व पुलिस थाना रवांजना डूंगर में दर्ज परिवाद को रफा-दफा करने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 20.04.2025 को जरिये मोबाईल वार्ता अनुसार 10,000/- रूपये की रिष्वत राषि स्वयं के लिये मांग कर अपनी उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 21.04.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी से रेल्वे स्टेशन रवांजना डूंगर के प्लेटफार्म नम्बर 02 के पास चाय की थडी पर बैठकर रिश्वत लेन-देन की वार्ता कर रवांजना डूंगर स्टेशन से रवांजना डूंगर कस्बे की तरफ जाने वाले रास्ते पर परिवादी के विरूद्व पुलिस थाना रवांजना डूंगर में दर्ज परिवाद को रफा-दफा करने के बदले में रिश्वत राशि 10,000/- रूपये प्राप्त करते हुये रंगे हाथों गिरफतार किया गया। अतः रणजीत सिंह पुत्र विशनलाल जाति बंजारा उम्र 51 वर्ष निवासी रेल्वे कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. 40 पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियर्म 1988 (यथा संषोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। (सुरेन्द्र कुमार शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर......................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रणजीत सिंह पुत्र विशनलाल जाति बंजारा उम्र 51 वर्ष निवासी रेल्वे कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. 40 पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,करौली को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 330 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 552-55 दिनांक 22.04.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. पुलिस अधीक्षक, जिला सवाई माधोपुर। 3-उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 22/04/2025 13:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	12/07/1973				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)